न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/2019

अपीलांट

खंगारा पुत्र बेसराजी, जाति राजपुरोहित, निवासी बावतरा, तहसील सायला, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. श्रीमति सायर पुत्री खंगारा एवं पत्नी शंकरलाल जाति पुरोहित निवासी बावतरा तहसील सायला जिला जालोर।
2. श्रीमति कैलाश पुत्री खंगारा एवं पत्नी धनाजी जाति पुरोहित निवासी बावतरा तहसील सायला जिला जालोर हाल निवासी पाउ तहसील सायला जिला जालोर।
3. श्रीमति पारस पुत्री खंगारा एवं पत्नी रतनसिंह जाति पुरोहित निवासी बावतरा तहसील सायला जिला जालोर हाल निवासी सांकरणा तहसील आहोर जिला जालोर।
4. श्रीमति तारा पत्नी खंगारा
5. दीपसिंह पुत्र खंगारा उर्फ पीरसिंह
6. हीरसिंह पुत्र खंगारा
7. अर्जन पुत्र खंगारा कौम पुरोहित निवासीगण बावतरा, तहसील सायला जिला जालोर
8. दीपसिंह पुत्र वजाराम
9. पारससिंह पुत्र वजाराम
10. छैलसिंह पुत्र वजाराम
11. मेहरसिंह पुत्र वजाराम
12. जोगाराम पुत्र उका
13. सुखीदेवी पत्नी सूजाराम
14. मथरादेवी पत्नी शंकरजी
15. नारणा पुत्र भेरा
16. शंकरा पुत्र प्रभु
17. मसरा पुत्र प्रभु
18. सुजा पुत्र प्रभु कौम तमाम पुरोहित निवासीगण बावतरा तहसील सायला जिला जालोर
19. कमला कुमार गोद पुत्र गेबाजी एवं पुत्र हस्तीमल कौम महाजन निवासी सायला तहसील सायला जिला जालोर।
20. भूमिधारी तहसीलदार, सायला जिला जालोर।
21. भवीया पुत्र बेसरा के कायम मुकाम वारिसान
    - 21/1 जगताराम पुत्र भवीया
    - 21/2 नपाराम पुत्र भवीया
    - 21/3 चन्दाराम पुत्र भवीया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

21/4 सुकी देवी पत्नी भवीया, तमाम जातियान पुरोहित, निवासी बावतरा, तहसील सायला, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सतपाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 04, 05, 07, 09 की ओर से वकील श्री
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 20 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/12/2020

1. अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सायला द्वारा मुकदमा नंबर 03/2016 बउनवान सायर बनाम खंगारा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 06, 08, 10 से 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 21/1 से 21/4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उक्त पक्षकार के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा बावतरा के पुराने खसरा नंबर 60 व 91 के नवीन खसरा नंबर 99, 100, 101, 102, 103, 104 कुल रकबा 22.08 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 101/192, 102/1928, 137 कुल रकबा 26.99 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा, खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 द्वारा दिनांक 06.01.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, उक्त वाद में अपीलांट का सगा भाई भवीया पुत्र बेसरा को प्रतिवादी संख्या 02 पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया था, जबकि वाद प्रस्तुत करने के दिन यानि दिनांक 06.01.2016 को तथा जैर अपील निर्णय व डिक्री की दिनांक को वह जीवित नहीं था, उक्त पक्षकार की मृत्यु वाद प्रस्तुत करने से पूर्व हो चुकी थी, जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 को पूर्ण रूप से थी,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 उसके भतीजे व भाभी लगती थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 ने जानबूझकर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 भवीया के वरिसान को पक्षकार नही बनाया था।

3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 द्वारा जो वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, उक्त वाद में तारीख पेशी दिनांक 15.04.2016 नियत की गई, उक्त वाद की आदेशिका में यह वर्णित किया गया कि दिनांक 19.05.2016 को तलबानाा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पेश करे। उसके पश्चात पत्रावली सीधे ही दिनांक 15.06.2016 को लोक अदालत में नियत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 ने जैर अपील निर्णय व डिक्री जरिये राजीनामा पारित करवा दी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 द्वारा शेष प्रतिवादीगण की गैरमौजूदगी मे आपसी दुरभीसंधि कर राजीनामा प्रस्तुत कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित करवाई है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट खंगारा व उसकी पुत्री पारस उपस्थित नहीं थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 द्वारा भूमि को हडपने के लिये अपीलांट का फर्जी अगूंठा लगाकर किसी अन्य आदमी को खडा करके जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बनावटी राजीनामे के आधार पर मृतक पक्षकारो के विरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

4. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा बावतरा के पुराने खसरा नंबर 60 व 91 के नवीन खसरा नंबर 99, 100, 101, 102, 103, 104 कुल रकबा 22.08 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 101/192, 102/1928, 137 कुल रकबा 26.99 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा, खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा बावतरा के पुराने खसरा नंबर 60 व 91 के नवीन खसरा नंबर 99, 100, 101, 102, 103, 104

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कुल रकबा 22.08 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 101/192, 102/1928, 137 कुल रकबा 26.99 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा, खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 02 के वाद से पूर्व देहान्त होने का कथन किया है। इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 02 का देहान्त पूर्व में होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 02 के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं मृतक के पक्ष में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। कानूनन मृतक पक्षकार के पक्ष में पारित निर्णय व डिक्री शुरू से शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री जरिये राजीनामे के पारित की गई है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं थे, जिससे उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री समस्त पक्षकारान की सहमति से पारित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक पक्षकार के विरूद्ध समस्त पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर सायला द्वारा मुकदमा नंबर 03/2016 बउनवान सायर बनाम खंगारा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29-12-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बृजमोहन

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली